



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 12 राँची, बुधवार 13 श्रावण, 1943 (श०)
4 अगस्त, 2021 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	156—158
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	
भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम	
भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।	
भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।	
भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	
भाग-9 — विज्ञापन	---
भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	
भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।	
पूरक--	
पूरक "अ"	

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

15 जुलाई, 2021

संख्या-1/विविध-826/2017 का०-3201--श्री अनन्य मित्तल, भा.प्र.से. (झा:2015), उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को निजी कार्य एवं निजी व्यय से विदेश (मालदीव) की यात्रा की स्वीकृति देते हुए दिनांक 13.07.2021 से 28.07.2021 तक कुल 16 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें से दिनांक 19.07.2021 से 26.07.2021 तक कुल 08 दिनों का उपार्जित अवकाश Ex-India Leave के रूप में होगा। इन्हें उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

29 जून, 2021

संख्या-1/विविध-812/2010 खण्ड का०-2862--श्री अबुबक्कर सिद्दीख पी., भा.प्र.से. (झा:2003), सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 13.07.2021 से 23.07.2021 तक कुल 11 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति, दिनांक 11.07.2021 के रविवारीय अवकाश, 12.07.2021 के सार्वजनिक अवकाश एवं 24.07.2021 के शनिवारीय अवकाश का उपभोग करने के साथ दिनांक 10.07.2021 के अपराह्न से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।
